भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2324

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

अनुसूचित जनजाति बहुल जिले

2324. श्री राजा राम सिंह:

क्याजनजातीय कार्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से राज्य-वार कितने जिलों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशऔरजम्मू और कश्मीर सहित अनेक राज्यों में अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों और बस्तियों को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जनजाति बहुल उक्त जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है, औरयदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): 2011 की जनगणना के अनुसार 87 जनजातीय बहुल जिले हैं, जिनमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचनाओं के अनुसार, 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा में 97 जिलों (33 पूर्णतः और 64 आंशिक रूप से शामिल) को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ख): किसी राज्य के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानदंड, जो भारत के संविधान में वर्णित नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग किया जाता रहा है, वे हैं:

(i) जनजातीय आबादी की अधिकता;

(ii) क्षेत्र की सघनता और उचित आकार;

(ii) एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका; और

(iv) पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अतः उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य सरकार को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्रों की अधिसूचना के लिए आगे की कार्रवाई के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(ग): मंत्रालय को अक्टूबर 2024 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य से अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

*****